न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 29 / 2020
दायर दिनांक : 22 / 12 / 2020
निर्णय दिनांक : 06 / 02 / 2025

उनवान

1. लोगर पिता नोला मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   1 बगदीराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   2 लालूराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   3 कालूराम पिता लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
   4 किशोर पत्नी लोगर मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. गोपीलाल पिता नोला मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. केसर पुत्री जयचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
2. मोहनलाल पुत्र जयचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
3. हंगामी पुत्री जयचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
4. नारायणी पत्नि जयचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
5. किशनलाल पिता भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
6. नाथूलाल पुत्र भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
7. रेखा पुत्री भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
8. राधेश्याम पुत्र भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
9. शांति पत्नी भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
10. सुरेश पुत्र भगवाना मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
    मृतक रामा पुत्र उदा के बजाय
11. व्रदी पत्नी मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
12. देउ पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
13. दाखी पुत्री रामा मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
    मृतक वरीदचंद पुत्र देवजी के बजाय
14. भंवरलाल पिता वरदीचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
15. हिरालाल पिता वरदीचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
16. बगदी पुत्री वरदीचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
17. राधी पत्नी वरदीचंद मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
    मुतक सुखलाल पिता देवजी के बजाय
18. भैरूलाल पुत्र सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
19. डालचंद पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar
Date: 2025.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

20. लालूराम पिता सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
21. टीपू पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
22. मंजू पुत्री सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
23. नोजीबाई पत्नी सुखलाल मेघवाल निवासी निलोद तहसील भूपालसागर
24. पटवारी हलका निलोद
25. तहसीलदार एवं उपपंजीयक भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री शंकरजाट, अधिवक्ता प्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि उक्त अनवान का वादपत्र श्रीमान के न्यायालय में पेश कर दिया गया जिस पर कुलिया सुनवाई होकर फेसला होने में काफी लंबा समय लगेगा। ग्राम निलोद के हल्के बैरूनी में आ0न0 2506 रकबा 0.81 है0 आ0न0 2507 रकबा 0.62 है0 आ0न0 2639 रकबा 0.24 है0 आ0न0 2645 रकबा 0.23 है0 आ0न0 2646 रकबा 0.25 है0 आ0न0 2649 रकबा 0.69 है0 आ0न0 2654 रकबा 0.12 है0 आ0न0 2665 रकबा 0.21 है0 आ0न0 2656 रकबा 0.25 है0 आ0न0 2657 रकबा 0.33 है0 आ0न0 2658 रकबा 0.49 है0 आ0न0 2659 रकबा 0.16 है0 आ0न0 2660 रकबा 0.17 है0 आ0न0 2796/2639 रकबा 0.41 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 4.98 है0 स्थित होकर उक्त आराजियात अप्रार्थी स0 1 से लगायत 10 तक के खातेदारी में दर्ज एवं अप्रार्थी संख्या 11 से लगायत 23 तक के पिता के खातेदारी में दर्ज हैं। उक्त आराजियात मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी स0 1 से 23 तक के पूर्वजों के समय होकर मूल पुरूष रूपा मेघवाल के समय की है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी के परिवार का सजरा निम्न प्रकार है– रूपा देवजी (जयचंद, वरदीचंद, सुखवाल), नवला (लोगर गोपीलाल), मेघा (सुरजमल नगा शंकर), काना (मादू दयाराम छोगालाल)। उक्त सजरे अनुसार मूल पुरूष रूपा का सबसे बडा लडका देवजी था जिससे खातेदार रूपा के मरने के बाद वादग्रस्त आराजियात देवजीपिता रूपा के नाम पर दर्ज हो गई थी और रूपा के अन्य तीन लडके है जिनके नाम पर खातेदारी में दर्ज नही हुई थी। तथा देवजी के मरने के बाद खातेदार जयचंद, वरदीचंद, स[illegible] खातेदारी में दर्ज हो गई थी तथा जयचंद की भी मृत्यु हो चुकी है जि[illegible] के वारिसान के खातेदारी में दर्ज हो गई है तथा प्रार्थी की विवादित आराजियात [illegible] 1/4 हिस्सा रेवन्य रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए था लेकिन प्रार्थी के पिता क[illegible] 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था जो नही हुआ और प्रार्थी के पिताजी अशिक्षित होकर अनपढ व्यक्ति थे जिससे रेवेन्यू रेकार्ड की जानकारी नही थी लेकिन प्रार्थी के हिस्से की 1/4 की आराजियात मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

होकर अपने कब्जे काश्त मे है तथा मौके पर अपने पिताजी के समय से निर्विवादित रूप से काश्त करते चले आ रहे थे और आज भी मौके पर काबिज होकर प्रार्थी लोगर का कब्जा आ0न0 2796/2639 रकबा 0.41 है0 पर चला आ रहा है तथा प्रार्थी गोपीलाल का कब्जा आ0स0 2506 रकबा 0.81 है0 के 1/4 हिस्सा पर एवं आ0 2659 रकबा 0.16 है0 के पुरा रकबा पर होकर काश्त करते चले आ रहे है। मौके पर आपसी भाई बटवाडा एवं हिस्से अनुसार अलग कब्जा कर रखा है। मौके पर प्रार्थीगण का अपने पिताजी के समय से ही 1/4 हिस्से पर कब्जा चला आ रहा है लेकिन रेवन्यू रेकार्ड में प्रार्थी का नाम दर्ज नही होने के कारण अक्सर परेशानियों का सामना करना पडता है तथा आराजियात पर काबिज होते हुए भी प्रार्थी के कब्जे की आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज नही है जिससे कृषि ऋण आदि कुछ भी प्राप्त नही कर सकते। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 23 तक को कई बार मौखिक रूप से कहा कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजियात प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज करा देवें लेकिन उक्त अप्रार्थीगण किसी प्रकार से सकारात्मक बात नही करते और एक मत होकर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज कराने हेतु तत्पर नही है। उक्त आराजियात में से कुछ अप्रार्थी विवादित आराजियात को रहन बह करने की धमकी देते है जिससे उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा भी जारी कराया जाना आवश्यक है कि वो विवादित आराजियात मे से प्रार्थीगण के कब्जे काशत की आराजियात में किसी प्रकार से कब्जे में दखलंदाजी नही करे और आराजियात को किसी प्रकार से रहन बह वक्षीस वसीयत नही करे तथा अन्य किसी प्रकार से खुर्द–बुर्द नहीं करे। ऐसा न स्वयं करे न अपने किसी भी परिवारजन एजेट नौकर से करावे और यदि दौराने वादपत्र ऐसा कोई कृत्य अप्रार्थीगण कर देवे तो प्रार्थी के मुकाबले प्रभावहीन घोषित कराया जाना आवश्यक है तथा प्रार्थी के हिस्से एवं कब्जे की आराजियात प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज कराया जाना आवश्यक है। अंतिम बार प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को दिनांक 20.09.2020 को प्रार्थी के हिस्से की आराजियात अपने खातेदारी में दर्ज कराने बाबत कहा तो उक्त अप्रार्थी ने बहानाबाजी की जिससे बिनाय प्रार्थनापत्र पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 20.09.2020 को हुई एवं उसके बाद से निरंतर जारी है। प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे है। पक्ष प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी के अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इस अमर का जारी फरमाया जावे कि आराजियात जैरबहस के प्रार्थी के उपयोग एवं उपभोग एवं कब्जे काश्त में अप्रार्थी किसी प्रकार से बाधा पैदा नहीं करे ताथा विवादित आराजियात को किसी प्रकार से रहन बह बक्षीस नही करे, ऐसा न स्वयं करे, न किसी और से भी करावे। तथा अप्रार्थी संख्या 24,25 उक्त विवादित आराजियात को कोई दस्तावेज पंजीयन नही करे और रेवेन्यू रेकार्ड में किसी प्रकार से कोई फेरबदल न तो स्वयं करे और न ही किसी और से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। वकील प्रार्थी द्वारा दिनाक 23.09.2021 को आदेश 22 नियम 3 का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो वाद बहस स्वीकार किया जाकर संशोधित उनवान शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण तामील सूचना उपस्थित नही आने से दिनांक 30.03.2022 को कार्यवाही एकतरफा की गई। वकील प्रार्थी की बहस एकतरफा सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस सुनी जाकर बहस पर मनन किया एवं तथ्यो पर गहनतापूर्वक विचार किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं वकील उपभयपक्ष की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 स्वीकार किया जाता है, मूल वाद के

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

निर्णय तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। निर्णय आज दिनांक 06.02.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.10 11:39:47 IST
Reason: SelfAttested